

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 950 सन 2021

अनवान :-

1. कालुराम पुत्र चन्दरुराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर ।
2. सन्दीप कुमार पुत्र सम्पतराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर ।
3. सागरमल पुत्र सम्पतराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. घेवरी पुत्री जमना पत्नी सहीराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर ।
2. बिदामी पुत्री चन्दरुराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर ।
3. राजूदवौ पुत्री चन्दरुराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर ।
4. प्रतापसिंह पुत्र गिता उर्फ जिता पुत्री जगना जाति बाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
5. श्यामलाल पुत्र गिता उर्फ जिता पुत्री जगना जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
6. रामसिंह पुत्र गिता उर्फ जिता पुत्री जगना जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
7. शिमला पुत्री गिता उर्फ जिता पुत्री जगना जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
8. महेन्द्रो पुत्री गिता उर्फ जिता पुत्री जगना जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
9. माया पुत्री सम्पतराम पुत्र चन्दरुराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
10. सन्तोष पुत्री सम्पतराम पुत्र चन्दरुराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
11. रजनी पुत्री सम्पतराम पुत्र चन्दरुराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
12. मोडुराम पुत्र सरबती पुत्री जगनाराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
13. चिन्नीराम पुत्र सरबती पुत्री जगनाराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
14. वेद प्रकाश पुत्र सरबती पुत्री जगनाराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
15. रामकुमार पुत्र ओमप्रकाश पुत्र सरबती जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
16. दारासिंह पुत्र ओमप्रकाश पुत्र सरबती जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
17. विजय पुत्र राधाकृष्ण उर्फ सुण्डाराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
18. बिरबल पुत्र राधाकृष्ण उर्फ सुण्डाराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
19. सुहागा देवी पत्नी सम्पतराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

21. कमला पुत्री चन्दरुराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 14.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प कोर्ट में वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 45/45 की कुल 3.1360 हैक्ठु भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किस्तुरी , चन्दरुराम , सरबती, सीता , घेवरी पुत्र/पुत्री जगना के नाम से दर्ज है ।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा जगनाराम वल्द सदुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा जगनाराम वल्द सदुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र/पुत्री किस्तुरी , चन्दरुराम , सरबती, सीता , घेवरी पुत्र/पुत्री जगना के नाम से दर्ज हुई जिसके कारण पैतृक सम्पति है ।

वाद भूमि वर्तमान में किस्तुरी , चन्दरुराम , सरबती, सीता , घेवरी पुत्र/पुत्री जगना के नाम दर्ज है जो वादीगण के पूर्वज है जिनमें से किस्तुरी , चन्दरुराम , सरबती, सीता , पुत्र/पुत्री जगना का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी

संख्या 1 ता 19 है जो किस्तुरी , चन्दरूराम , सरबती, सीता , पुत्र/पुत्री जगन एवं घेवरी के नाम दर्ज भूमि के हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 वादी की बहने/बुआ/माता है एवं किस्तुरी , चन्दरूराम , सरबती, सीता , घेवरी पुत्र/पुत्री जगन की पुत्र/पुत्रीया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 21 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 21 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की किस्तुरी , चन्दरूराम , सरबती, सीता , पुत्र/पुत्री जगन के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 21 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किये जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने निवेदन किया की वाद भूमि किस्तुरी , चन्दरूराम , सरबती, सीता , घेवरी पुत्र/पुत्री जगन के नाम से दर्ज है जगना के देहान्त होने पर दर्ज हुई तथा वर्तमान में किस्तुरी , चन्दरूराम , सरबती, सीता , पुत्र/पुत्री जगन का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ,21 है जो वाद भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/बुआ/भतिजे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 21 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 21 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 21 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं परोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ,21 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 45/45 की कुल 3.1360 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किस्तुरी , चन्दरूराम , सरबती, सीता , घेवरी पुत्र/पुत्री जगना के नाम से दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि किस्तुरी , चन्दरूराम , सरबती, सीता , घेवरी पुत्र/पुत्री जगन के नाम से दर्ज है जिनमें से किस्तुरी , चन्दरूराम , सरबती, सीता , पुत्र/पुत्री जगन का देहान्त हो चुका है तथा वाद भूमि विरास्तन से किस्तुरी , चन्दरूराम ,

सरबती, सीता , घेवरी पुत्र/पुत्री जगन को प्राप्त हुई है मृत्यू /पैतृक सम्पति होने के कारण विरास्तन/पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ,21 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ,21 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है एवं मृत्यू प्रमाण पत्र से वादीगण के कथनों की पुष्टि होती है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 21 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 45/45 की कुल 3.1360 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किस्तुरी ,सरबती, सीता , घेवरी पुत्र/पुत्री जगना के नाम से दर्ज है चारों के नाम दर्ज 4/5 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 एवं शेष 1/2 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेंगे तथा चदरूराम के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 1/25 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 21 एवं 2/25 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 एवं 2/25 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट.....सोनडी

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. कालुराम पुत्र चन्दरुराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर ।
2. सन्दीप कुमार पुत्र सम्पतराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर ।
3. सागरमल पुत्र सम्पतराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. घेवरी पुत्री जमना पत्नी सहीराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर ।
2. बिदामी पुत्री चन्दरुराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर ।
3. राजूदवी पुत्री चन्दरुराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर ।
4. प्रतापसिंह पुत्र गिता उर्फ जिता पुत्री जगना जाति बाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
5. श्यामलाल पुत्र गिता उर्फ जिता पुत्री जगना जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
6. रामसिंह पुत्र गिता उर्फ जिता पुत्री जगना जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
7. शिमला पुत्री गिता उर्फ जिता पुत्री जगना जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
8. महेन्द्रो पुत्री गिता उर्फ जिता पुत्री जगना जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
9. माया पुत्री सम्पतराम पुत्र चन्दरुराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
10. सन्तोष पुत्री सम्पतराम पुत्र चन्दरुराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
11. रजनी पुत्री सम्पतराम पुत्र चन्दरुराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
12. मोडुराम पुत्र सरबती पुत्री जगनाराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
13. चिन्नीराम पुत्र सरबती पुत्री जगनाराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
14. वेद प्रकाश पुत्र सरबती पुत्री जगनाराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
15. रामकुमार पुत्र ओमप्रकाश पुत्र सरबती जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
16. दारासिंह पुत्र ओमप्रकाश पुत्र सरबती जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
17. विजय पुत्र राधाकृष्ण उर्फ सुण्डाराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
18. बिरबल पुत्र राधाकृष्ण उर्फ सुण्डाराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
19. सुहागा देवी पत्नी सम्पतराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर ।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

21. कमला पुत्री चन्दरुराम जाति बाल्मिकी निवासी नोहर तहसील नोहर

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 953 सन 2021 निर्णय दिनांक-14.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर के खाता संख्या 45/45 की कुल 3.1360 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में किस्तुरी ,सरबती, सीता , घेवरी पुत्र/पुत्री जगना के नाम से दर्ज है चारो के नाम दर्ज 4/5 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 एवं शेष 1/2 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगे तथा चदरुराम के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 1/25 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 21 एवं 2/25 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 एवं 2/25 हिस्सा भूमि वादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट.....सोनडी